जारी 23/2/22

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़, देहरादून– 248001

Email id-ceo _uttaranchal@eci.gov.in फोन न0 (0135) 2713551

election09@gmail.com फोन न0 (0135) 2713552

संख्या– 2186/xxv–12(11)/2018 देहरादून : दिनांक 23 फरवरी, 2022

सेवा में,

श्री संजय शर्मा,
म0नं0–62, आर्य नगर, गम्भीर मार्ग ज्वालापुर,
हरद्विार पिन–249407

विषय– सूचना के अधिकार अधिनियम–2005 के तहत सूचना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपका अनुरोध पत्र दिनांक 08.02.2022 जो इस कार्यालय में दिनांक 10 फरवरी 2022 को प्राप्त हुआ है से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं पर कार्यालय में धारित सूचना निम्नानुसार प्रेषित है–

विन्दु संख्या–	सूचना का विवरण
बिन्दु–2	पत्र सं0–223 दिनांक 08 जनवरी 2022 की प्रति (02 पृष्ठ)
बिन्दु–3	पत्र सं0–899 दिनांक 24 जनवरी 2022 (कुल 05 पृष्ठ)
बिन्दु–4	सूचना कार्यालय में धारित नहीं।
बिन्दु–5	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 के पृष्ठ सं0–120 एवं 121 (02 पृष्ठ)

इस आदेश के अन्तर्गत दी गई जानकारी से यदि असंतुष्ट हों तो आदेश प्राप्ति की तिथि से 30 दिन के अन्दर विभाग के अपीलीय अधिकारी जिनका पता निम्नवत है, अपील दायर कर सकते हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

अपीलीय अधिकारी का पता–
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल,
सचिवालय परिसर 4–सुभाष रोड़,
देहरादून– 248001,

भवदीय,

B.S. Rawat
(बसन्त सिंह रावत)
अनुभाग अधिकारी एवं
लोक सूचना अधिकारी।

ॐ

प्राप्त 10/2/22 (हस्ताक्षर) दिनांक : 08.02.2022

सेवा में,

श्रीमान. मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय जी
देहरादून (उत्तराखण्ड)

समस्त Transfer हेतु [illegible] है

महोदय. — सूचना का अधिकार अधिनियम वर्ष 2005 के अंतर्गत निम्न सूचनाएं उपलब्ध कराने का कष्ट करें

1) महोदय. वर्ष 2022 के विधान सभा निर्वाचन हेतु उत्तराखण्ड मे आपके द्वारा TAXI एवम् - मैक्सी, बस, इत्यादी वाहनों को अधिग्रहण किया गया है। उन वाहनो को प्रति दिन वाहन एंव ड्राईवर को कितने पैसे का भुगतान आपके द्वारा स्वीकृत किया गया है की एक छाया प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें! —— परिवहन विभाग

2) महोदय. वर्ष 2022 का विधान सभा निर्वाचन की अवधी किस दिनांक से प्रारम्भ एवम् किस दिनांक को समाप्त होगी! (कमा) हेती है

3) महोदय, वर्ष 2022 के विधान सभा निर्वाचन मे, कर्मचारी, एवम् अधिकारी यों को प्रति दिन कितना, कितना TA / DA का भुगतान आपके द्वारा किया जाएगा! हेती है

4) महोदय. वर्ष 2022 के निर्वाचन मे, सरकारी कर्मचारीयों को एक जिले से दुसरे जिलो मे भेजा जाता है अथवा, जिस जिले मे वह नियुक्त है, वही पर अपनी सेवाएं देता है! हेती है

5) महोदय. कामर्शियल वाहनों को आपके द्वारा अधिग्रहण किया जाता है, 2022 के विधान सभा निर्वाचन हेतु उन वाहनो को किसी भी जिले मे, भेजने का प्रावधान है, तो उनकी एक छाया प्रति एवम् उन वाहनो के चालकों को, आपके द्वारा खाना, रहने की सुविधा आपके द्वारा दी जाती है! कोई ऐसा विवरण आपके द्वारा हर जिले को दिया जाता है अथवा नहीं! हेती है

6) महोदय, प्रत्येक महोदय के लिए INNOVA CRYSTA वाहनो को ही अधिग्रहण क्यों किया जाता? क्या इन वाहनो को आपके द्वारा इन की कीमत या सरकारी रेट के बराबर भुगतान किया जाता है! हेती है

7) महोदय. आपके द्वारा जिस दिन वाहन को अधिग्रहण किया जाता है, उसी दिनांक से उस वाहन को पैसे का भुगतान किया जाता है! अथवा आपकी इच्छा के अनुसार होता है! समस्त

8) महोदय. 2022 मे जिन वाहनों अधिग्रहण करके, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, इत्यादी जिलो मे भेजा गया है उन वाहनो को Toll, TAX, एवम् अन्य भुगतान किया जाएगा अथवा नहीं! की सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें। समस्त ADAO / पुलिस

संजय शर्मा
मका. 62 आर्य नगर

9) महोदय. आपके द्वारा दिनांक 05 जुलाई 2021 पत्र संख्या 1036/XXV-02/2018 [illegible]

बिन्दु सं० - 2

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
फोन न0 (0135) – 2713551
फैक्स न0 (0135) – 2713724

संख्याः 223 /XXV– /2021 देहरादून : दिनांक 8 जनवरी, 2022

प्रेस नोट

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022 हेतु प्रेसनोट संख्या– ECI/PN/3/2022 दिनांक 08 जनवरी 2022 जारी कर कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है, जो निम्न प्रकार हैः–

1.	अधिसूचना जारी होने की तिथि	21 जनवरी, 2022 (शुक्रवार)
2.	नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	28 जनवरी, 2022 (शुक्रवार)
3.	नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि	29 जनवरी, 2022 (शनिवार)
4.	नाम वापसी की अंतिम तिथि	31 जनवरी, 2022 (सोमवार)
5.	मतदान की तिथि	14 फरवरी, 2022 (सोमवार)
6.	मतगणना की तिथि	10 मार्च, 2022 (बृहस्पतिवार)
7.	वह दिनांक जिससे पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कर ली जायेगी।	12 मार्च, 2022 (शनिवार)

2– आयोग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022, दिनांक 01 जनवरी, 2022 की अर्हता तिथि के आधार पर दिनांक 05 जनवरी 2022 को अंतिम प्रकाशित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के आधार पर सम्पादित किया जायेगा तथा उक्त सामान्य निर्वाचन में EVMs और VVPATs का प्रयोग किया जायेगा। आयोग द्वारा उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन के दौरान मतदेय स्थल पर मतदाता की पहचान हेतु फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र अथवा आयोग द्वारा अनुमोदित निम्न दस्तावेजों से मतदाता की पहचान सुनिश्चित की जायेगी।

क्र0सं0	मतदाता की पहचान हेतु वैकल्पिक दस्तावेज
1	आधार कार्ड
2	मनरेगा, जॉब कार्ड
3	बैंक/डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक
4	श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
5	ड्राईविंग लाइसेंस
6	पेन कार्ड
7	एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
8	भारतीय पासपोर्ट
9	फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख
10	केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
11	सांसदों/विधायकों/एमएलसी को जारी किये गये आधिकारिक पहचान–पत्र

उक्त के अतिरिक्त आयोग के पत्र संख्या 437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2022 दिनांक 08 जनवरी 2022 में दिये गये निर्देशों के अनुसार समस्त उत्तराखण्ड राज्य में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है।

दिनांक : 08 जनवरी, 2022

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी

प्रतिलिपि –

1– समस्त प्रदेश अध्यक्ष/सचिव/महामंत्री, मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल, उत्तराखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

2– महानिदेशक, सूचना एवं लोक जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को पांच प्रति इस आशय से प्रेषित कि दिनांक 08 जनवरी 2022 को प्रकाशित होने वाले समस्त समाचार पत्रों में प्रेसनोट प्रमुख रूप से निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड़
विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, सचिवालय परिसर 4–सुभाश राड़, देहरादून– 248001
Email id-ceo uttaranchal@eci.eci.gov.comin
election09@gmail.com
फोन नं0 (0135) 2713551
फोन नं0 (0135) 2713552

संख्या– 1399/XXV–47/2018 देहरादून : दिनांक 25 मार्च, 2019

सेवा में,

तुरन्त/आवश्यक

समस्त जिलाधिकारी एवं,
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषय– **लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदान/मतगणना एवं सुरक्षा कर्मिकयों आदि को दैनिक पारिश्रमिक/लंच–हल्का नाश्ता आदि के भुगतान के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–773/XXV–08/2014 दिनांक 12 अप्रैल 2014 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निर्वाचन डयूटी में तैनात मतदान /मतगणना एवं सुरक्षा कार्मिकों आदि को दैनिक पारिश्रमिक /लंच हल्का नाश्ता आदि के भुगतान के संबध में आयोग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किए गयें है । लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 में भी उक्त शासनादेश के अनुसार ही नियमानुसार सभी संबधितों को पारिश्रमिक/लंच/हल्का नाश्ता हेतु धनराशि के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2– उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र संख्या–758/ XXV–76–1(3)/2009 दिनांक 11 अप्रैल 2014 की प्रति संलग्न करते यह कहना कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2019 के समादनार्थ मतदेय स्थलों (बूथ) निर्माण पर व्यवस्था की दरें उक्त पत्र के अनुसार यथावत हैं।

3– उक्त व्यवस्थाओं हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 के माह अप्रैल 2019 के प्रथम सप्ताह तक अग्रिम आहरण की व्यवस्था की जानी आवश्यक है। उक्त के लिए जिन मदों में अग्रिम धनराशि का आहरण किया जाना आवश्यक हो उसके मांग पत्र की इस कार्यालय को दिनांक 29.3.2019 तक आवश्यकता है।

अतः उक्तानुसार व्यवस्थाओं को समय पर सम्पन्न कराने हेतु धनराशि का मांग पत्र दिनांक 29 मार्च 2019 तक विस्तृत विवरण सहित अनिवार्य रूप से इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि तद्नुसार वित्त विभाग से धनराशि के आवंटन की मांग रखते हुए समय से आपको समुचित धनराशि आवंटित की जा सके।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(सौजन्या)
सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्या 773 /XXV–08/2014

प्रेषक,

प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

निर्वाचन अनुभाग

देहरादून : दिनांक 12 अप्रैल, 2014

विषय– लोक संभा सामान्य निर्वाचन–2014, निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदान/मतगणना एवं सुरक्षा कर्मियों आदि को दैनिक पारिश्रमिक/लंच–हल्का नाश्ता आदि के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या– 098/XXV-38(1) /2008 दिनांक 06 फरवरी, 2009 के साथ प्रेषित भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या–464/INST/2008/EPS दिनांक 09 जनवरी, 2009 एवं पत्र संख्या–750/XXV-38-1(2)/2008 दिनांक 20 अप्रैल 2009 के सन्दर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान/मतगणना कर्मियों तथा सुरक्षा कर्मियों को भुगतान की जाने वाली पारिश्रमिक/लंच–हल्का नाश्ता की दरें अपने पत्र संख्या–464/INST-PAY/20141-EPS दिनांक 28 फरवरी, 2014 (प्रति संलग्न) के अनुसार निम्न प्रकार निर्धारित की गयी है:–

क्र. स.	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पारिश्रमिक की न्यूनत्तम धनराशि (₹ में)
1.	सेक्टर आफिसर/जोनल मजिस्ट्रेट	₹1500/– एकमुश्त
2.	पीठासीन अधिकारी/मतगणना पर्यवेक्षक	₹350/– प्रतिदिन अथवा दिन के किसी भाग के लिए
3.	मतदान अधिकारी/मतगणना सहायक	₹250/– प्रतिदिन अथवा दिन के किसी भाग के लिए
4.	चतुर्थ श्रेणी	₹150/– प्रतिदिन अथवा दिन के किसी भाग के लिए
5.	लंच पैकेट/हल्का नाश्ता	₹150/– प्रति व्यक्ति प्रतिदिन
6.	वीडियो सर्विलांस टीम,वीडियो व्यूविंग टीम,अकॉउन्टिंग टीम, एक्सपेंडिचर मॉनीटरिंग,कन्ट्रोल रूम और कॉल सेन्टर स्टाफ, मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी, फ्लाइंग स्क्वाड, स्टेटिक सर्विलांस टीम, एक्सपेंडिचर मॉनीटरिंग सेल।	श्रेणी–I / II (₹1200/– एकमुश्त)
		श्रेणी–III (₹1000/– एकमुश्त)
		श्रेणी–IV (₹200/– प्रतिदिन)
7.	इन्कम टैक्स इंस्पेक्टर	₹1200/– एकमुश्त

उपरोक्त दरें मतदान/मतगणना ड्यूटी में तैनात पुलिस कार्मिकों पर भी समान रूप से लागू होगी।

2.1– उक्त धनराशि का भुगतान मतदान/मतगणना ड्यूटी पर तैनात प्रत्येक कार्मिक (आरक्षित ड्यूटी सहित) को निर्वाचन प्रशिक्षण, निर्वाचन सामग्री आदि प्राप्त करने, मतदान ड्यूटी एवं मतगणना ड्यूटी के फलस्वरूप किया जायेगा। अर्थात कोई भी कार्मिक जिसे निर्वाचन के सुव्यवस्थित सम्पादन / संचालन हेतु मतदान/मतगणना ड्यूटी के लिए तैनात किया गया है, को उक्तानुसार

–क्रमशः 2

आयोग द्वारा नियत दर के आधार पर पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा।

2.2– निर्वाचन ड्यूटी का आशय सामान्यतः उस अनुमन्य अवधि से होगा जबकि निर्वाचन के पूर्वाभ्यास के लिए कोई भी मतदान/मतगणना कार्मिक अपने निवास/कार्यालय मुख्यालय से जिस समय और तिथि में प्रस्थान कर उक्त प्रयोजन हेतु निर्धारित स्थान/स्थानों पर निर्वाचन के पूर्वाभ्यास हेतु उपस्थित हुआ है और पूर्वाभ्यास की समाप्ति के पश्चात अनुमन्य सामान्य अवधि में अपने निवास/कार्यालय मुख्यालय पर वापस पहुँचा है। इसी प्रकार मतदान हेतु निर्धारित तिथि में निर्वाचन सामग्री प्राप्त करने से लेकर मतदान की समाप्ति के पश्चात संग्रह केन्द्र पर सील्ड EVMs तथा अन्य अभिलेख जमा करने एवं मतगणना की समाप्ति के उपरान्त अनुमन्य सामान्य अवधि में अपने निवास/कार्यालय मुख्यालय पर वापस पहुँचने तक की अवधि को भी तदनुसार पारिश्रमिक के भुगतान हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

2.3– उक्त कालवधि में आवागमन के लिए प्रत्येक कार्मिक को उसके निवास/कार्यालय मुख्यालय से निर्वाचन के पूर्वाभ्यास/सामग्री प्राप्ति के लिए नियत स्थान तक पहुँचने और पूर्वाभ्यास–मतदान/मतगणना की समाप्ति के पश्चात पुनः अपने निवास/कार्यालय मुख्यालय वापस जाने के लिए सामान्य रूप से अनुमन्य वाहन किराया देय होगा किन्तु उक्त अवधि में निर्वाचन विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई वाहन सुविधा में कोई किराया भाड़ा देय नहीं होगा। किसी भी कार्मिक को उक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई आनुसांगिक व्यय आदि देय नहीं होगा।

2.4– मतदान/मतगणना ड्यूटी के अतिरिक्त निर्वाचन संबंधी अन्य कार्यों के सम्पादन/संचालन हेतु किसी भी अधिकारी/कर्मचारी आदि को सामान्य रूप से प्रचलित यात्रा भत्ता की अनुमन्य दरों के अनुसार ही नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

3– भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान/मतगणना कार्मिकों को पूर्व में देय लंच/हल्का नाश्ता की दरें भी पुनरीक्षित की गई है और पुनरीक्षित दरों के अनुसार कार्मिकों को पैक लंच/हल्का नाश्ता उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में ₹150/– कार्मिक की दर से नकद भुगतान किए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।

3.1– मतदान/मतगणना ड्यूटी हेतु तैनात प्रत्येक कार्मिक को निर्वाचन के पूर्वाभ्यास/निर्वाचन सामग्री प्राप्ति/ मतदान एवं मतगणना के दिनांक पर पैक लंच/ हलका नाश्ता अनुमन्य कराया जाना है। सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि द्वितीय Randomization के पश्चात किसी भी मतदान कार्मिक को मतदान पार्टी के रूप में नियुक्त किए जाने के फलस्वरूप आयोजित निर्वाचन के पूर्वाभ्यास, तत्पश्चात मतदेय स्थल के लिए तैनाती के फलस्वरूप निर्वाचन सामग्री आदि की प्राप्ति और मतदान की समाप्ति के पश्चात वापस संग्रह केन्द्र पर लौटने तक कुल वास्तविक दिवसों के आधार पर संबंधित कार्मिकों को पैक लंच/हल्का नाश्ता अनुमन्य कराया जायेगा। कदाचित यदि पैक लंच/हल्का नाश्ता अनुमन्य कराया जाना सम्भव न हो तो ऐसी स्थिति में आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक कार्मिक को ₹150/– प्रतिदिन की दर से उक्त प्रयोजन हेतु नकद भुगतान किया जाय। मतगणना ड्यूटी हेतु तैनात कार्मिकों को मतगणना दिवस पर पैकं लंच/हल्का नाश्ता अनुमन्य कराया जाय। उक्त सुविधा आरक्षित ड्यूटी में तैनात कार्मिकों को भी नियमानुसार अनुमन्य कराई जायेगी।

3.2– मतदान/मतगणना हेतु तैनात समस्त सुरक्षा कर्मियों यथा मोबाइल पार्टी, होमगार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, ग्राम रक्षक दल, एन.सी.सी. सीनियर कैडेट, भूतपूर्व सैनिक एवं सी.पी.एफ आदि को भी पैक लंच/ हल्का नाश्ता की उक्त सुविधा नियमानुसार अनुमन्य कराई जायेगी। इस संबंध में पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित कर धनराशि का आगणन करते हुए समय पर अपेक्षित धनराशि पुलिस

–क्रमशः 3

विभाग को उपलब्ध करा दी जाय।

4— निर्वाचन ड्यूटी में तैनात समस्त जोनल/ सेक्टर मजिस्ट्रेटों को रूपये—1500/—मात्र की धनराशि एकमुश्त पारिश्रमिक के रूप में उपलब्ध क़राई जायेगी।

5— प्रस्तर—2 में अंकित तालिका के क्रम संख्या—2, 3 एवं 4 एवं प्रस्तर 2.3 में उल्लिखित वाहन किराया के रूप में व्यय होने वाली धनराशि का भुगतान अनुदान संख्या—05, लेखाशीर्षक—2015 निर्वाचन आयोजनेत्तर, 105—संसद के चुनाव कराने कें लिए प्रभार, 03—सामान्य निर्वाचन, 04—यात्रा व्यय की मानक मद से तथा, प्रस्तर—2 में अंकित तालिका के क्रम संख्या—1, 5,6 एवं 7 में उल्लिखित मदों से संबंधित व्यय होने वाली सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान उल्लिखित लेखाशीर्षक/उप लेखाशीर्षक की 08—कार्यालय व्यय की मानक मद से किया जायेगा।

6— भारत निर्वाचन अयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक कार्मिक को 80% टीए/डीए का भुगतान अग्रिम के रूप में तथा शेष 20% धनराशि का भुगतान निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात 30 दिन के अन्दर अनिवार्यतः सुनिश्चित कर लिया जाय। पैक लंच/हल्का नाश्ता के रूप में अनुमन्य सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान प्रत्येक दशा में विलम्बतः निर्वाचन सामग्री वितरण के समय ही नियमानुसार सुनिश्चित कर लिया जाय।

अतः कृपया उक्त दिशा—निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ।

संख्या 773/XXV—08/2014 तद् दिनॉकित।

प्रतिलिपिः—निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग—5, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. वित्त अधिकारी, साईबर ट्रेजरी, लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
5. विभागीय प्रति।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव एवं
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

परन्तु आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किए गए निर्वाचन में जहां कि अभ्यर्थी निर्वाचित नहीं होता वहां उसके द्वारा किया गया निक्षेप समपहृत हो जाएगा यदि उसे मतों की उस संख्या के छठे भाग से अधिक मत प्राप्त नहीं होते जो अभ्यर्थी हो जाने के लिए पर्याप्त रूप में इस निमित्त विहित हैं ।

(5) उपधाराओं (2), (3) और (4) में किसी बात के होते हुए भी---

(क) यदि साधारण निर्वाचन में अभ्यर्थी एक से अधिक संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में या एक से अधिक सभा निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है तो एक ही निक्षेप वापस किया जाएगा और अन्य निक्षेप समपहृत हो जाएंगे ;

(ख) यदि अभ्यर्थी निर्वाचन में एक से अधिक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्रों में, या निर्वाचन में एक परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र में और विधान परिषद् में स्थानों को भरने के लिए राज्य विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचन में, निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी है तो एक ही निक्षेप वापस किया जाएगा और अन्य निक्षेप समपहृत हो जाएंगे ।

[1][**159. कतिपय प्राधिकारियों के कर्मचारिवृन्द निर्वाचन के काम के लिए उपलब्ध किए जाएंगे**---(1) जब अनुच्छेद 324 के खंड (4) के अधीन नियुक्त प्रादेशिक आयुक्त या राज्य का मुख्य निर्वाचन आफिसर, ऐसा अनुरोध करे तब, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी किसी रिटर्निंग आफिसर को उतने कर्मचारिवृन्द उपलब्ध कराएंगे जितने निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक हों ।

(2) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :---

(i) हर स्थानीय प्राधिकारी ;

(ii) केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या निगमित हर विश्वविद्यालय ;

(iii) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 617 में परिभाषित कोई सरकारी कंपनी ;

(iv) ऐसी कोई अन्य संस्था, समुत्थान या उपक्रम, जो केन्द्रीय, प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किया गया है या जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतः या सारतः नियंत्रित या वितपोषित है ।]

160. परिसर, यानों आदि का निर्वाचन के प्रयोजन के लिए अधिग्रहण---(1) यदि राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि राज्य के भीतर होने वाले निर्वाचन के संबंध में---

(क) इस प्रयोजन के लिए कि उसका मतदान केन्द्र के रूप में या मतदान होने के पश्चात् मतपेटियों के रखने के लिए उपयोग किया जाए, किसी परिसर की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है ; अथवा

(ख) किसी मतदान केन्द्र से या को मतपेटियों के परिवहन के प्रयोजन के लिए या ऐसे निर्वाचन के संचालन के दौरान व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल के सदस्यों के परिवहन के या ऐसे निर्वाचन के संबंध में किन्हीं कर्तव्यों के पालन के लिए किसी आफिसर या अन्य व्यक्ति के परिवहन के लिए किसी यान, जलयान या जीवजन्तु की आवश्यकता है या आवश्यकता होनी संभाव्य है,

तो वह सरकार ऐसे परिसर या, यथास्थिति, ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का अधिग्रहण लिखित आदेश द्वारा कर सकेगी, और ऐसे अतिरिक्ति आदेश दे सकेगी जैसे कि अधिग्रहण के संबंध में उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई यान, जलयान या जीवजन्तु, जिसे अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता ऐसे अभ्यर्थी के निर्वाचन से संसक्त किसी प्रयोजन के लिए विधिपूर्णतः उपयोग में ला रहा है, इस उपधारा के अधीन तब तक अधिगृहीत न किया जाएगा जब तक ऐसे निर्वाचन में मतदान समाप्त न हो जाए ।

(2) अधिग्रहण उस व्यक्ति को संबोधित लिखित आदेश द्वारा किया जाएगा जिसकी बाबत राज्य सरकार यह समझती है कि वह उस सम्पति का स्वामी है या उस पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति है और ऐसे आदेश की उस व्यक्ति पर तामील, जिसे वह संबोधित है, विहित रीति में की जाएगी ।

(3) जब कभी कोई सम्पति उपधारा (1) के अधीन अधिगृहीत की जाए तब ऐसे अधिग्रहण की कालावधि उस कालावधि के परे विस्तृत न होगी जिसके लिए ऐसी सम्पति उस उपधारा में वर्णित प्रयोजनों में से किसी के लिए अपेक्षित है ।

---

[1] 1998 के अधिनियम सं0 12 की धारा 2 द्वारा (23-12-1997 से) प्रतिस्थापित ।

(4) इस धारा में---

(क) "परिसर" से कोई भूमि, भवन या भवन का भाग अभिप्रेत है और झोंपड़ी, शेड या अन्य संरचना या उसका कोई भाग इसके अन्तर्गत आता है ;

(ख) "यान" से ऐसा कोई यान अभिप्रेत है जो सड़क परिवहन के प्रयोजन के लिए उपयोग में आता है या उपयोग में लाए जाने योग्य है भले ही वह यांत्रिक शक्ति से नोदित हो या न हो ।

161. प्रतिकर का संदाय---(1) जब कभी राज्य सरकार किसी परिसर को धारा 160 के अनुसरण में अधिगृहीत करे तब हितबद्ध व्यक्तियों को प्रतिकर संदत्त किया जाएगा जिसकी रकम का अवधारण निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखकर किया जाएगा, अर्थात् :---

(i) परिसर की बाबत देय भाटक या यदि कोई भाटक ऐसे देय न हो तो उस परिक्षेत्र में वैसे ही परिसर के लिए देय भाटक;

(ii) यदि हितबद्ध व्यक्ति परिसर के अधिग्रहण के परिणामस्वरूप अपने निवास-स्थान या कारबार के स्थान को बदलने के लिए विवश हुआ हो तो ऐसे बदलने से आनुषंगिक युक्तियुक्त व्यय (यदि कोई हो) :

परन्तु जहां कि कोई हितबद्ध व्यक्ति ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुए राज्य सरकार से विहित समय के अन्दर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्देशित कर दिया जाए वहां दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करें :

परन्तु यह और भी जहां प्रतिकर पाने के हक की बाबत या प्रतिकर की रकम के प्रभाजन की बाबत कोई विवाद है वहां अवधारण के लिए उसे राज्य सरकार अपने द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ को निर्दिष्ट करेगी और वह विवाद ऐसे मध्यस्थ के विनिश्चय के अनुसार अवधारित किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण---इस उपधारा में "हितबद्ध व्यक्ति" पदावलि से वह व्यक्ति, जो धारा 160 के अधीन अधिगृहीत परिसर पर अधिग्रहण के अव्यवहित पूर्व वास्तविक कब्जा रखता था या जहां कि कोई व्यक्ति ऐसा वास्तविक कब्जा नहीं रखता था वहां ऐसे परिसर का स्वामी अभिप्रेत है ।

(2) जब कभी राज्य सरकार कोई यान, जलयान या जीवजन्तु धारा 160 के अनुसरण में अधिगृहीत करे तब उसके स्वामी को प्रतिकर संदत्त किया जाएगा जिसकी रकम का अवधारण राज्य सरकार ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु को भाड़े पर लेने के लिए उस परिक्षेत्र में प्रचलित भाड़े या दरों के आधार पर करेगी :

परन्तु जहां कि ऐसे यान, जलयान या जीवजन्तु का स्वामी ऐसे अवधारित प्रतिकर की रकम से व्यथित होते हुए राज्य सरकार से विहित समय के भीतर यह आवेदन करता है कि वह मामला मध्यस्थ को निर्दिष्ट कर दिया जाए वहां दिए जाने वाले प्रतिकर की रकम ऐसी रकम होगी जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ अवधारित करे :

परन्तु यह और भी कि जहां अधिगृहीत किए जाने से अव्यवहित पूर्व यान या जलयान स्वामी से भिन्न व्यक्ति के कब्जे में अवक्रय करार के आधार पर था वहां अधिग्रहण के बारे में संदेय कुल प्रतिकर के रूप में इस उपधारा के अधीन अवधारित रकम उस व्यक्ति और स्वामी के बीच में ऐसी रीति में, जिसके लिए वे सहमत हो जाएं, और ऐसी सहमति के अभाव में, ऐसी रीति में, जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त मध्यस्थ विनिश्चित करे, प्रभाजित की जाएगी ।

162. जानकारी अभिप्राप्त करने की शक्ति---राज्य सरकार किसी सम्पति को धारा 160 के अधीन अधिगृहीत करने की या धारा 181 के अधीन संदेय प्रतिकर को अवधारित करने की दृष्टि से किसी व्यक्ति से आदेश द्वारा अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसी सम्पति संबंधी अपने कब्जे की ऐसी जानकारी, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे प्राधिकारी को दे जो ऐसे विनिर्दिष्ट किया जाए ।

163. किसी परिसर आदि में प्रवेश करने और उनके निरीक्षण की शक्तियां---(1) यह अवधारण करने के प्रयोजन के लिए कि क्या किसी परिसर, किसी यान, जलयान या जीवजन्तु के संबंध में धारा 160 के अधीन आदेश किया जाए और यदि किया जाए तो किस रीति में किया जाए या इस दृष्टि से कि उस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए कोई व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा या इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और ऐसे परिसर और उनमें के किसी यान, जलयान या जीवजन्तु का निरीक्षण कर सकेगा ।

परिशिष्ट-3

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथमतल, सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून– 248001
Email ID- election09@gmail.com
फोन नं0 (0135) – 2713780, 2713551
फैक्स नं0 (0135) – 2713724

संख्याः 899 / XXV–08/2021 देहरादूनः दिनांक 24 जनवरी, 2022.

सेवा में,

महत्वपूर्ण/आवश्यक

समस्त जिलाधिकारी एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः– **विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022 निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदान/मतगणना एवं सुरक्षा कार्मिकों आदि को दैनिक पारिश्रमिक/लंच–हल्का नाश्ता आदि के भुगतान के संबंध में।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–773/XXV-08/2014 दिनांक 12 अप्रैल, 2014 एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या–1399 दिनांक 25 मार्च, 2019 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निर्वाचन ड्यूटी में तैनात मतदान/मतगणना एवं सुरक्षा कार्मिकों आदि के दैनिक पारिश्रमिक/लंच हल्का नाश्ता आदि के भुगतान के संबंध में आयोग द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किए गये है। विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022 में भी उक्त शासनादेश के अनुसार ही नियमानुसाार सभी संबंधितों को पारिश्रमिक/लंच/हल्का नाश्ता हेतु धनराशि के भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2– उक्त के अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्र संख्या–758/XXV-76-1(3) दिनांक 11 अप्रैल, 2014 की प्रति संलग्न करते हुए यह कहना है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन–2022 के सम्पादनार्थ मतदेय स्थलों (बूथों) के निर्माण व्यवस्था की दरें उक्त पत्र के अनुसार यथावत है। है।

आयोग के निर्देशानुसार प्रत्येक कार्मिक को 80% टीए/डीए का भुगतान अग्रिम के रूप में तथा शेष 20% धनराशि का भुगतान निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात 30 दिन के अन्दर अनिवार्यतः सुनिश्चित कर लिया जाय। पैक लंच/हल्का नाश्ता के रूप में अनुमन्य सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान प्रत्येक दशा में विलम्बतः निर्वाचन सामग्री वितरण के समय ही नियमानुसार किया जाना है।

अतः उक्त संबंध में मुझे यह कहने के निदेश हुए है कि उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी संबंधितों को आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्न–यथोपरि

भवदीय,

(प्रताप सिंह शाह)
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।